	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रा० पत्र आदेश-7 नियम-11 पर बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 20/03/2018 को पेश हो।
20/03/2018	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली मय प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, जिसमें वादी ने उदा, चूना एवं कालीराम जो कि खाता संख्या-52 के सहखातेदारान हैं, को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा विवादित आराजीयात गैर खातेदारी तक के रूप रेकार्ड है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र में भी उक्त तथ्य उठाते हुए गैर खातेदार को स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है, के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त RRT 2009 (1) पार्ट-1 पेज-204 कानाराम VS चुन्नीलाल पेश किया।
	वादी ने विरोध व्यक्त करते हुए विवादित भूमि पर कब्जा होने का कथन किया, लेकिन कोई शपथ-पत्र व दस्तावेजी साक्ष्य वाद के साथ पेश नहीं किये गये।
	पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात व न्यायिक दृष्टान्त का हमारे द्वारा अवलोकन किया जाकर मनन किये जाने पर यह पाया जाता है कि वादी द्वारा सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं गैरखातेदार को स्थायी निषेधाज्ञा का वाद-पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होने से वाद विधि वर्जित पाया जाता है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र आदेश-7 नियम-11 जा० दी० एवं आदेश-1 नियम 9 व 13 जा० दी० का स्वीकार किया जाकर वाद पत्र विधि विरुद्ध होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

सत्यमेव जयते
WebCopy - Not Official